

2026:एचसी-एलकेओ:20067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1491 वर्ष 2026**

मो० शमसाद

.....आवेदनकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी

आवेदनकर्ता के अधिवक्ता

: गिरधारी लाल शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -15**माननीय न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार**

अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं, और साथ ही अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध सात मामले दर्शाए गए हैं। इन सभी मामलों में, आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश, जमानत याचिका के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में सामूहिक रूप से पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक 26.01.2026 से जेल में है और, यदि उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वह न्यायिक प्रक्रिया से फरार हो जाएगा। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक निचली न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों का पालन करेगा और मामले के त्वरित विचारण में सहयोग करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु उन्होंने अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दलीलों पर कोई विवाद नहीं किया है।

इस तथ्य पर समुचित विचार करने के उपरांत कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और उक्त मामलों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा इस बात पर भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचार करते हुए कि आवेदक 26.01.2026 से जेल में निरुद्ध है, यह न्यायालय इस मामले को आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक, सुनील उर्फ सुनील यादव, जो एफ आई आर/वाद अपराध संख्या 347/2025, अंतर्गत धारा 3(1)/2(बी)(1)/2(बी)(12) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ में अभियुक्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू(जमानतदार) प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए; साथ ही, न्यायहित में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित की जाती हैं:

आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या अन्यथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

आवेदक, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के तहत एक शपथ-पत्र पर वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं उपस्थित रहेगा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से। यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब बीएनएसएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि वह ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत याचिका तक ही सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार).

19 मार्च, 2026

मधु जे.आर/पी.एस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।